**हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पौंटा साहिब द्वारा दिनांक 11.06.2019 को श्रीयुत रणदीप सिंह, मौज़ा और मोहाल भगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, खसरा नं- 936 और 998 कुल लीज 54-66-80, कुल उत्पादन क्षमता 797676 एम०टी प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर जान सुनवाई की कार्यवाही विवरण:-**

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पौंटा साहिब द्वारा दिनांक 11.06.2019 को प्रातः 11:30 बजे श्रीयुत रणदीप सिंह खसरा न-936 और 998 मौज़ा और मोहाल भगानी तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या SO 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन उपायुक्त सिरमौर की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पौंटा साहिब के अधिकारी /प्रतिनिधि द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। इसके बाद वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता हि० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पौंटा साहिब द्वारा अध्यक्ष जिलाधीश महोदय से कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुमति ली गयी। जन सुनवाई में उठाये गए मुद्दों का विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र० स० | नाम एवं उठाये गए मुद्दे | मुद्दों पर टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1. | श्री नसीम अहमद ग्राम भगानी निवासी ने परियोजना प्रबंधन से पूछा की कुशल और गैर-कुशल श्रमिकों की सुरक्षा हेतु क्या प्रावधान है? | परियोजना प्रबंधन ने इस विषय पर आश्वासन दिलाया कि इस परियोजना के लिए नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें सेफ्टी शूज , डस्ट मास्क , हेलमेट दिए जाएंगे एवं समय-समय पर स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी। जनसुनवाई के अध्यक्ष जिलाधीश महोदय ने परियोजना के प्रस्तावक को अनिवार्य आधार पर उक्त परियोजना में कार्यरत / लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान करने का निर्देश दिया। |

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 2. | श्री मोहब्बत अली निवासी गाँव भागानी ने सुझाव दिया और परियोजना प्रस्तावक से पूछा<br><br>(क) स्थानीय लोगों द्वारा नदी तल खनन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से प्रदूषित होने से बचाने के लिए उनके द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे ।<br><br>(ख) क्षेत्र के प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए प्राथमिकता दी जाये ।<br><br>(ग) प्रस्तावित खनन पट्टे और मुख्य सड़क (पांवटा-भगनी-डाकपत्थर) पर स्थापित विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु स्कूल के खुलने और बंद होने के दौरान खनन में लगे वाहनों का आवागमन न हो। | परियोजना प्रबंधन ने विषय पर आश्वासन दिलाया कि<br><br>(क) इस परियोजना के अंतर्गत 18000 पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे।<br><br>(ख) क्षेत्र के प्रभावित स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता (90% तक) दी जाएगी।<br><br>(ग) प्रस्तावित खनन पट्टे और मुख्य सड़क (पांवटा-भगनी-डाकपत्थर) पर स्थापित विद्यालय में विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु स्कूल के खुलने और बंद होने के दौरान खनन में लगे वाहनों का आवागमन नहीं किया जाएगा । जनसुनवाई के अध्यक्ष जिलाधीश महोदय ने परियोजना प्रबंधन को निर्देश दिया कि खनन कार्य में प्रस्तावित वाहनों के लिए कोई वैकल्पिक पक्का मार्ग प्रयोग में लाया जाये। |
| 3. | श्रीमती बलविंदर कौर, निवासी ग्राम भगानी ने स्थानीय लोगों को रोजगार एवं पीने का पानी उपलब्ध करवाए जाने की मांग की । | परियोजना प्रबंधन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की तथा आश्वासन दिलाया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी एवं गांव में पीने के पानी के लिए नल-कूप उपलब्ध करवाया जाएगा तथा स्थानीय महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जाएगा । जनसुनवाई के अध्यक्ष जिलाधीश महोदय ने परियोजना प्रबंधन को निर्देश दिया की पत्तल बनाने की मशीन महिला मंडल को दी जाये ताकि स्थानीय महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके जिसके लिए प्रबंधन ने अपनी सहमति जताई। परियोजना प्रबंधन ने स्थानीय विद्यालय में सैनिटरी वेंडिंग मशीन उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। |

Scanned by CamScanner

तदोपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ में अपने विचार/सुझाव/आपत्तियां प्रकट करने का आवाहन किया गया।

जन सुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही का सार उपस्थित लोगों के समक्ष हिंदी में पढ़कर सुनाया गया। अंत में जन सुनवाई के समापन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया।

उपायुक्त
जिला सिरमौर
हि.प्र.